तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	44/2019 अब्दुल गफ्फार / नगर पालिका	
31/3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप०। रेस्पो. सं० 1 व 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर केजीवाल, राजकीय अधिवक्ता उप०। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 05/04/21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
5/4/21	पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6/4/21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
06.04.21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20-04-21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
20.04.21 1-	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1179 दिनांक 30.10.2012 ग्राम खण्डेला की राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज भूमि को नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1179 के विरुद्ध प्रथम अपील वर्तमान अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष नम्बरी 82/2012 प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा निर्णय दिनांक	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार इस हुक्म को तामील में जारी हुए
	27.09.2019 पारित किया जाकर अपीलांट की अपील खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 1179 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2019 की अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
2-	अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल उपस्थित आये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।	
3.	अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ख.न. 2404 में से 0.~~44~~ हैक्टेयर अपीलांट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा अन्तर्गत वाद संख्या 304/2020 निर्णय दिनांक 14.08.2006 के माध्यम से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि घोषित की गई है। उक्त निर्णय की कोई अपील दायर नहीं की गई है तथा उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2006 अन्तिम हो चुका है। उक्त निर्णय की पालना की कार्यवाही तहसीलदार खण्डेला के समक्ष विचाराधीन थी फिर भी अपीलार्थी को सुने बगैर तथा निर्णय दिनांक 14.08.2006 पर विचार किये बिना अन्य भूमि के साथ अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 2404 में से 0.40 हैक्टेयर	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि की जरिये प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1179 नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज कर दी गई जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है तथा अपीलांट के विधिक अधिकारों का उल्लंघन है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने तथा नामान्तरकरण संख्या 1179 वादग्रस्त भूमि की हद तक निरस्त कर निर्णय दिनांक 14.08.2006 को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार खण्डेला को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।	
4.	राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1179 द्वारा राजकीय भूमि को नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग (ग्रुप-6) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.12.2010 की पालना में दर्ज किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जाये।	
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर		
5.	उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवम् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवम् दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ पत्रावली के	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.08.16 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 41 R 27 सीपीसी प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 22.11.16 से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, खण्डेला के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2006 प्रस्तुत की गई हैं। उक्त निर्णय व डिक्री से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2404 में से 0.44 हैक्टेयर भूमि का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का कोई विवेचन नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर तथा कयास के आधार पर पारित किया गया है तथा Non-Speaking आदेश की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय विधिक त्रुटि से ग्रसित है तथा बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
S.	उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2019 अन्तर्गत अपील संख्या 82/2012 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर अपास्त किया जाता है तथा प्रकरणगत नामान्तरकरण संख्या 1179 को वादग्रस्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि ख.नं. ~~2014~~ 2404 के 0.~~44~~ 42 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय/डिक्री दिनांक 14.08.2006 न्यायालय सहायक कलक्टर, खण्डेला के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पुनः आदेश पारित किया जाये।	
6.	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जाये। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
7	निर्णय आज दिनांक 20.04.2021 को सुनाया गया।	
	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner

2019/00102

14/10

अपील सं. 44/2019

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर जिला जयपुर राज०

अब्दुल गफार पुत्र महाले खाँ जाति तगडाला (गवारडा) मुसलमान निवासी वार्ड नंबर-10, खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर (राजस्थान).

---अपीलान्ट...

पेश
दिनांक
9/10/2019

बनाम

1- नगर पालिका, खण्डेला जरिये सचिव या अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

2- राज सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज०.

----रेस्पाडेन्टस्...

अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा अति० जिला कलेक्टर, सीकर दिनांक 27-9-2019 बाबत प्रकरण सं०-अपील नंबरी 82/2012, जिसके द्वारा उन्होंने अनुचित रूप से नामान्तकरण संख्या 1179 तस्दीकशुदा आज्ञा तहसीलदार, खण्डेला दि० 30.10.12 को यथावत कायम रखते हुये प्रार्थी-अपीलांट के पक्ष में ए.सी.एम. खण्डेला द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.8.2006 की पालना में नामान्तकरण खोले जाने से इंकार किया एवं अवैध रूप से प्रार्थी-अपीलांट की प्रथम अपील खारिज की ।

श्रीमानजी,

संक्षिप्त तथ्य अपील इस प्रकार है- विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा

..2.